

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली 02.06.2015

अधिसूचना

सा.का.नि..... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) संशोधन नियम, 2015 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 की अनुसूची : IV में, क्रमशः फॉर्म 'क' और फॉर्म 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित फॉर्म रखे जाएंगे, अर्थात् :-

फॉर्म क
(नियम 13 (4) (II) देखें)
निःशक्तता पेंशन के लिए आवेदन का फॉर्म
भाग-1
(आवेदक के द्वारा भरा जाए)

1.	आवेदक का वर्णन (i) नाम (ii) पदनाम / रैंक (iii) आई आर एल ए/वैयक्तिक/बल/रेजीमेंट सं. (iv) आधार संख्या (यदि उपलब्ध है) (v) पहचान चिन्ह	फोटो के लिए स्थान
2.	पिता या माता या दोनों के नाम क) पिता का नाम ख) माता का नाम	
3.	आवेदक की जन्म की तारीख	
4.	(i) पिन कोड सहित पत्र व्यवहार का पता (ii) पिन कोड सहित स्थायी पता	
5.	चोट/बीमारी के समय धारित पद	
6.	बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता सं. जिसमें पेंशन की राशि जमा की जाएगी (संयुक्त खाता, स्वयं या जीवित (उत्तरजीवी), पत्नी/पति के साथ) बी एस आर कोड, आई एफ एस सी कोड	
7.	<p>संलग्नक प्रतियां :</p> <p>(i) चिकित्सा बोर्ड के प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रतियां, (ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का फॉर्म 3, (iii) नामांकन फॉर्म (पेंशन के संराशीकरण को छोड़कर), (iv) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के फॉर्म 26 में वचनबद्ध पत्र (यदि लागू हो), (v) किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान को लौटाने का वचनबद्ध पत्र (vi) नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का छाप (यदि आवेदक निरक्षर है) (vii) पति/पत्नी के तीन संयुक्त फोटो या जहां संयुक्त फोटो प्रस्तुत करना संभव न हो वहां आवेदक और उसके पति/पत्नी के अलग-अलग फोटो, टिप्पण – अंगूठे का छाप (यदि आवेदक निरक्षर है) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा और फोटो कार्यालय के प्रधान द्वारा प्रमाणित किया गया हो।</p>	

टिप्पण – कार्यालय प्रधान द्वारा इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक के लिए संयुक्त खाता खोलना उन कारणों से संभव नहीं है जो उसकी शक्ति से परे हैं, उक्त आदेश को शिथिल किया जाएगा।

स्थान :
तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर
संपर्क नं.
ई-मेल आई डी :

.....
कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर तथा मुहर

आवेदनपत्र प्राप्त की तारीख :

भाग II

(कार्यालय प्रधान द्वारा भरा जाए और लेखा अधिकारी को अग्रहित किया जाए)

1.	(i) वर्तमान/अंतिम धारित पद (ii) चोट लगने/ बीमारी होने के समय धारित पद (iii) मुख्यालय/एकक तथा उसका पता (iv) सेवा जिससे वह संबंधित है	
2.	(i) सेवा में प्रविष्ट होने की तारीख (ii) सेवा से बर्खास्त/ सेवा छोड़ने की तारीख	
3.	कुल अर्हक सेवा (क) वास्तविक (ख) 'घ' और 'ड.' प्रवर्ग के लिए आनुमानिक	
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	
5.	(i) चोट लगने/ बीमारी होने की तारीख को मूल वेतन (ii) चिकित्सा परीक्षण की तारीख को मूल वेतन (जिसके अंतर्गत मूल वेतन में व्यवसाय-निषेध भत्ता भी शामिल है)	
6.	चोट लगने/ बीमारी होने के कारण हुई निःशक्तता का प्रतिशत (जो चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित हो) और वह परिस्थितियां जिसके परिणामस्वरूप वह निःशक्तता हुई है,	
7.	(i) चोट लगने/ बीमारी होने की तारीख (चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित हो) (ii) चिकित्सा परीक्षण की तारीख	
8.	सेवा निवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान की राशि	
9.	(क) प्रस्तावित निःशक्तता पेंशन (ख) वह तारीख जिससे पेंशन प्रारंभ होती है	
10.	असाधारण कुटुम्ब पेंशन की दर, यदि चोट लगने की तारीख से या बीमारी होने की चिकित्सा रिपोर्ट की तारीख से 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है और उसी चोट या बीमारी के कारण उसने सेवा छोड़ी थी।	
11.	मद 10 में यथावर्णित मृत्यु से भिन्न किसी मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन की दर	
	(i) बढ़ी हुई दर पर (ii) साधारण दर पर (iii) वह अवधि जिसके लिए कुटुम्ब पेंशन देय होगी - (क) बढ़ी हुई दर पर (ख) साधारण दर पर	

.....
कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर तथा मुहर

लेखा अधिकारी

फॉर्म ख
(नियम 13 (4) (ii) देखें)
कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन का फॉर्म

सरकारी सेवा के कारण लगी चोट (चोटों)/हुई बीमारी (बीमारियां) के कारण हुई मृत्यु का दावा करने वाले स्वर्गीय श्री/ श्रीमती.....के संबंध में असाधारण कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन

I. मृत व्यक्ति के संबंध में सूचना

1.	पूरा नाम और पता	
2.	पिता या माता या दोंनो के नाम	
3.	जन्म की तारीख	

II. दावा करने वाले के संबंध में सूचना

4.	नाम और पता (ग्राम, डाकघर, जिला, राज्य पिन कोड दर्शाएं)	
5.	जन्म की तारीख	
6.	आधार संख्या (यदि कोई है)	
7.	सभी स्रोतों से मासिक आय	
8.	मृतक के साथ संबंध	
9.	बैंक का नाम शाखा का नाम खाता संख्या बी एस आर कोड/आई एफ एस सी कोड	

III. मृतक के कुटुम्ब में जीवित (उत्तरजीवी) सदस्यों के ब्योरे

संबंध	नाम	जन्म की तारीख (ईस्वी-सन् में)	निःशक्तता, यदि कोई है	वैवाहिक प्रस्थिति
विधवा/विधुर				
पुत्र				
पुत्री				
पिता				
माता				
भाई				
बहन				

IV. यदि दावाकर्ता अवयस्क है या मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित है जिसके अंतर्गत मानसिक बाधा भी शामिल है, अभिभावक या नामांकित व्यक्ति का ब्योरा, जहां कहीं लागू हो -

नाम	जन्म की तारीख	अवयस्क/मानसिक निःशक्त दावेदार के साथ संबंध	मृतक सरकारी सेवक के साथ संबंध	डाक का पता

- संलग्नक (की प्रतियां) :
1. मृतक कर्मचारी के चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट -
 2. संरक्षण प्रमाणपत्र, यदि लागू हो,
 3. दावेदार का निःशक्तता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
 4. आय प्रमाणपत्र

आवदेक का नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप और किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो फोटो संलग्न हैं।

स्थान :

तारीख :

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

फोन नं.

आयकर के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन).....

आधार सं., यदि उपलब्ध हो.....


टिप्पण : यदि मृतक अपने उत्तरजीवी के रूप में कोई पुत्र विधवा, पुत्री, पिता या माता, भाई या बहन नहीं छोड़ जाता है; तो उसके संबंधी के सामने "कोई नहीं" प्रविष्ट किया जाएगा।

स्थान :

तारीख :

(कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर तथा मुहर)

[फाइल सं. 33/4/2014-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)]



(हरजीत सिंह)

उप सचिव

टिप्पण - तारीख 7 अगस्त, 1987 तक यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उक्त नियमों का और संशोधन निम्नलिखित के द्वारा किया गया था -

1. का. आ. सं. 1487 (ई) तारीख 30 दिसंबर, 2003
2. का. आ. सं. 410 (ई) तारीख 15 फरवरी, 2011
3. सा. का. नि. सं. 96 तारीख 20 दिसंबर, 2013